PS/CCRS

# पूर्वोत्तर रेलवे

# रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम-1998; तथा

# Statutory Investigation into Railway Accidents Rules-1998 and

# रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच) नियम-1998

# Railway (Notice of and Inquiries into Accident) Rules-1998

PS/CCRS

# रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण
## नियम-1998

# Statutory Investigation into Railway Accidents Rules-1998

भारत के राजपत्र में दिनांक 26 दिसम्बर 98 तथा 6 मार्च 99 को सा.का.नि. 257 एवं 63 (भाग–दो, खण्ड 3, उपखण्ड–i) में प्रकाशित

## नागर विमानन मंत्रालय

## रेल संरक्षा आयोग

सा.का.नि. 257 एवं 63–केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. <u>गम्भीर रेलगाड़ी दुर्घअनाओं की जाँच</u> –

(1) (क) जहाँ रेल संरक्षा आयुक्त को, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 113 के अधीन, किसी ऐसी दुर्घटना के घटित होने की सूचना मिले, जिसे वह इतनी गम्भीर समझता हो कि उसकी जाँच करना उचित हो, तो वह, यथासंभव शीघ्र, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, रेलवे बोर्ड और संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को, जाँच करने के अपने अभिप्राय की सूचना देगा और साथ ही जाँच की तारीख, समय व स्थान नियत करेगा और संसूचित करेगा। इस संबंध में वह एक प्रेस नोट भी जारी करेगा या कराएगा जिसमें जाँच में साक्ष्य देने या दुर्घटना के संबंध में, अपने कार्यालय के पते पर, सूचना भेजने के लिये जनसाधारण को आमंत्रित किया जायेगा।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्त, जाँच करने का अपना अभिप्राय पूर्वोक्त रूप में अधिसूचित करते समय संबंधित राज्य के मुख्य सचिव, संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भी सूचित करेगा।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए यात्रियों का वहन करने वाली रेलगाड़ी के साथ घटित हर गंभीर दुर्घटना, जिसमें गाड़ी में यात्री या यात्रियों की जनहानि हुई हो, या जिस गाड़ी में किसी यात्री या यात्रियों को, भारतीय दंड संहिता में यथा परिभाषित घोर उपहति हुई हो, या जिसमें रेल सम्पत्ति की पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो या कोई अन्य दुर्घटना जिसकी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेल संरक्षा आयुक्त की राय में जाँच करना अपेक्षित हो, ऐसी गंभीर किस्म की दुर्घटना समझी जायेगी, जिसकी जाँच करना अपेक्षित है।

ये दुर्घटनाएं "गंम्भीर दुर्घटनाएं" मानी जाएंगी।

(3) किसी भी दुर्घटना के लिये, मुख्य आयुक्त स्वयं जाँच कर सकता है या किसी रेल संरक्षा आयुक्त को ऐसा करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

<u>स्पष्टीकरण</u> – जाँच केवल उन मामलों में बाध्यकारी होगी जहाँ वे यात्री जो मरे हैं या जिन्हें घोर उपहति पहुंची है यात्री वहन करने वाली रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। यदि दुर्घटना में लिप्त यात्री वहन करने वाली रेलगाड़ी से कोई रेल सेवक मर जाता है या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है इस बात को विचार में लाए बिना कि वह यात्री गाड़ी में यात्रा कर रहा था या नहीं, इस नियम के अन्तर्गत जाँच बाध्यकारी होगी। यद्यपि, यदि व्यक्ति रेल सेवक है या उसके पास विधिमान्य पास या टिकट है या अन्यथा यात्री गाड़ी के "चल स्टाक" के बाहर यात्रा (जैसे फुटबोर्ड यां छत या बफर्स पर लेकिन गाड़ियों के मध्य वेस्टीब्यूल के अन्दर छोड़कर) कर रहा हो, मर जाता है या गंभीर रूप से उपहत हो जाता है, या समपार या रेलपथ पर कहीं और गाड़ी के नीचे आ जाता है तो इस नियम के अधीन जाँच बाध्यकारी नहीं होगी।

यदि समपार पर सड़क यान और सवारी गाड़ी के बीच टक्कर में कोई भी रेल यात्री न-मरे या गंभीर रूप से उपहत न हो, तो जाँच करना बाध्यकर नहीं होगा।

इस नियम के प्रयोजन के लिए कर्मकार गाड़ियाँ या गिट्टी गाड़ियाँ या सामान ढोने वाली गाड़ियाँ या दुर्घटना सहायता गाड़ियाँ या टावर वैगन या कर्मकारों का वहन करने वाली ऐसी ही अन्य गाड़ियाँ या पशु स्पेशल या मिलिटरी स्पेशल जो प्राधिकृत अनुरक्षको को ले जा रही हो या इसी तरह की ऐसी गाड़ियों को भी यात्री गाड़ी माना जायेगा और कर्मकार या अनुरक्षक के ट्रेन दुर्घटना के कारण मारे जाने या गंभीर रूप से उपहति होने की स्थिति में, इस नियम के अधीन जाँच करना बाध्यकर होगा।

(4) जब ऐसी दुर्घटना, जिसमें जाँच करना अपेक्षित हो, किसी ऐसे स्टेशन पर घटित हो, जो दो या दो से अधिक रेल संरक्षा आयुक्तों की अधिकारिता में आता है, तो इस नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व उस रेल संरक्षा आयुक्त का होगा जिसकी अधिकारिता में उस स्टेशन का संचालन करने वाली रेलवे पड़ती है। किसी भी प्रकार की शंका के मामले में उसका विनिश्चय मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त करेगा।

(5) (क) यदि, किसी कारणवश संबंधित रेल संरक्षा आयुक्त किसी ऐसी दुर्घटना के घटित होने के बाद दुर्घटना की शीघ्र जाँच

करने में असमर्थ हो तो वह किसी भी त्वरित संचार माध्यम के द्वारा बिना विलम्ब के मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को उन कारणों को सूचित करेगा जिनके कारण उसके द्वारा जाँच नहीं की जा सकती है। मुख्य आयुक्त स्वयं जांच करने का चयन या किसी आयुक्त को जांच करने का निर्देश या रेलवे प्रशासन द्वारा जाँच करने देने का विनिश्चय कर सकता है। संबंधित आयुक्त इसके पश्चात् तदनुसार रेल प्रशासन और रेलवे बोर्ड को अधिसूचित करेगा।

(ख) रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच) नियम, 1998 के नियम 15 के अनुसार, रेल प्रशासन के प्रधान से संयुक्त जाँच (रेल अधिकारियों की समिति द्वारा की गई जाँच) की कार्यवाही के मिलने पर, रेल संरक्षा आयुक्त उसकी समीक्षा करेगा और यदि वह संयुक्त जाँच के निष्कर्ष से सहमत है तो वह रिपोर्ट की प्रति मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को निष्कर्ष के बारे में अपने विचार सिफारिशों सहित अग्रेषित करेगा। यदि आयुक्त अनुभव करता है, तो वह रेल प्रशासन को या तो नए सिरे से जाँच करने या विशिष्ट मुद्दों को पुनः परीक्षण करने और संशोधित निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकता है। यदि दूसरी ओर, संयुक्त जाँच की कार्यवाही पर विचार कर लेने के बाद, रेल संरक्षा आयुक्त समझता है कि स्वयं उसके द्वारा जाँच की जानी चाहिए तो वह यथा संभव शीघ्र मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, रेलवे बोर्ड और संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को जाँच करने के अपने अभिप्राय की सूचना देगा और उसी समय जाँच की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और संसूचित करेगा।

(6) यदि दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन, दुर्घटना की जाँच करने के लिए किसी जाँच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या उसकी जाँच के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो, और इसके प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम के सभी अथवा कोई उपबन्ध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिये हों, तो रेल संरक्षा आयुक्त, जिसे दुर्घटना की सूचना दे दी गयी हो, अपनी ओर से जाँच नहीं करेगा और यदि उसने जाँच पहले ही आरंभ कर दी हो तो उसे और आगे नही बढ़ाएगा, तथा जाँच से संबंधित साक्ष्य अभिलेख या अन्य दस्तावेज जो उसके कब्जे में हों, ऐसे प्राधिकारी के सुपुर्द करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया हो।

3. **रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा संक्षिप्त प्रारम्भिक वर्णनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना** –

यदि रेल संरक्षा आयुक्त ने किसी दुर्घटना की बाबत जाँच नियम 2 के उपनियम (2) के अधीन की है तो वह संक्षिप्त प्रारम्भिक वर्णनात्मक रिपोर्ट मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त और रेलवे बोर्ड को एक साथ प्रस्तुत करेगा। उस दशा में जब मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने नियम 2(3) और 2(6) के निबंधनों के अनुसार जाँच की है तो वह संक्षिप्त प्रारम्भिक वर्णानात्मक रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट तथ्यात्मक होगी और इसमें अलिप्त व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया जायेगा।

4. **रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना** –

जब कभी रेल संरक्षा आयुक्त ने नियम 2 के अधीन जाँच की हो, तो वह मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को लिखित गोपनीय रिपोर्ट पेश करेगा और रिपोर्ट की एक–एक प्रति :–

(i) रेलवे बोर्ड को;

(ii) सभी क्षेत्रीय रेलो के रेल प्रशासन को;

(iii) राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के नियंत्रणाधीन रेल के मामले में ऐसी राज्य सरकार अथवा प्रशासन को, यदि दुर्घटना उस रेल में घटित हुई हो;

(iv) अन्य रेल संरक्षा आयुक्तों को, और

(v) यदि रेल संरक्षा आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुर्घटना तोड़–फोड़ की कार्यवाही या गाड़ी गिराने के कारण हुई है, तो निदेशक, उपसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजेगा।

(2) यदि जाँच मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई है तो वह रिपोर्ट को उपनियम (1) के खण्ड (i) से (v) में वर्णित प्राधिकारियों को प्रेषित करेगा।

5. **रिपोर्टों का प्रकाशन** –

(1) रिपोर्टो के प्रकाशन के संबंध में सिफारिश मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त करेगा और तदनुसार रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) को सूचित करेगा।

(2) यदि मुख्य आयुक्त की सिफारिशों से रेलवे बोर्ड असहमत है तो मामले पर अंतिम निश्चय केन्द्रीय सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) द्वारा किया जायेगा।

6. **जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि का रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जा रही जाँच में हाजिर रहना** –

जहाँ रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच) नियम, 1998 के नियम 17 के खण्ड (क) या (ख) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच न की जा रही हो, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट, यथासंभव रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई जाँच में स्वयं हाजिर रहेगा या ऐसी जाँच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगा।

7. **जिला पुलिस अधीक्षक या उसका प्रतिनिधि** –

जिला पुलिस अधीक्षक, रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई जाँच में यथासंभव स्वयं हाजिर रहेगा या ऐसी जाँच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगा।

8. **तकनीकी मामलों को स्पष्ट करने में रेल संरक्षा आयुक्त का मजिस्ट्रेट अथवा जाँच आयोग आदि की सहायता करना** –

रेल संरक्षा आयुक्त, जब कभी उसे किन्ही तकनीकी मामलों के स्पष्टीकरण में सहायता देने को कहा जाय, न्यायिक जाँच या रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच) नियम, 1998 के नियम 17 के अधीन जाँच करने वाले मजिस्ट्रेट या जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जाँच आयोग या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य प्राधिकारी की, जिस पर उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध लागू किए गये हों, यथासंभव सहायता करेगा।

9. **रेल संरक्षा आयुक्त की शक्तियाँ** –

नियम 2 के उपनियम (6) में उपबन्धित सीमा के सिवाय, इन नियमों की कोई भी बात, रेल संरक्षा आयुक्त को अधिनियम की धारा 7 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग को सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेंगी।

10. **निरसन और व्यावृत्ति** –

(1) रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1973 निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के तत्संबंधित उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी ।

ह./–

**प्रकाश चन्द्र**

अवर सचिव, भारत सरकार

# रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच) नियम, 1998

# Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules - 1998

भारत के राजपत्र में दिनांक 2 जनवरी 99 तथा 6 मार्च 99 को सा.का.नि.

5–64 (भाग– II, खण्ड 3, उपखण्ड i) में प्रकाशित

## रेल मंत्रालय
## (रेलवे बोर्ड)

सा.का.नि. 5 एवं 64 केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :–**

(1) इन नियमो का नाम रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सूचनाओं में दिये जाने वाले विवरण :–**

भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 113 में उल्लिखित सूचनाओं में निम्नलिखित विवरण दिया जायेगा, अर्थात :–

(i) किलोमीटर – दूरी या स्टेशन या दोनो, जहाँ दुर्घटना घटी हो,

(ii) दुर्घटना का समय और तारीख,

(iii) गाड़ी या गाड़ियों का नम्बर और उसका या उनका विवरण,

(iv) दुर्घटना का प्रकार,

(v) मारे गये या आहत व्यक्तियों की संख्या, जहाँ तक ज्ञात हो, और

(vi) दुर्घटना का कारण, जहाँ तक ज्ञात हो, और

(vii) यातायात में सम्भावित निरोध।

3. **सूचनाएं भेजने की जिम्मेदारी– किसको और किस ढंग से भेजी जायेगी :–**

जब कभी कोई ऐसी दुर्घटना, जो अधिनियम की धारा 113 के अन्तर्गत आती हो, रेल के कार्यचालन के अनुक्रम में घटित होती है, (इसमें इसके पश्चात् इसे रिपोर्ट करने योग्य "रेलगाड़ी दुर्घटना" कहा गया है) तो दुर्घटना स्थल से सब से पास का स्टेशन मास्टर, या जहाँ कोई स्टेशन मास्टर न हो वहाँ रेलवे के उस खण्ड का भारसाधक रेल सेवक, जहाँ दुर्घटना घटित हुई है, या रेल के किसी खंड का कोई अन्य भारसाधक स्टेशन मास्टर, जिससे दुर्घटना की रिपोर्ट की गयी हो, दुर्घटना की सूचना, रेल संरक्षा आयुक्त, जिस जिले में दुर्घटना घटित हुई हो उसके जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक को या ऐसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को, जिसे सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया हो, तार द्वारा और रेल पुलिस के अधीक्षक और उस पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर दुर्घटना घटित हुई हो, तार, टेलीफोन या विशेष संदेशवाहक या किन्हीं अन्य उपलब्ध द्रुत माध्यम से देगा।

**स्पष्टीकरण :–**

इस नियम के प्रयोजन के लिये अधिनियम की धारा 113 के अन्तर्गत "रिपोर्ट करने योग्य रेलगाड़ी दुर्घटना" जिनके अन्तर्गत ऐसी दुर्घटनाएं भी आती हैं जिनमें साधारणतः, जनहानि हुई हो, (जैसे यात्री गाड़ियों की टक्करें, पटरी से उतर जाना, गाड़ी ध्वंस या गाड़ी ध्वंस करने के प्रयास जैसी दुर्घटनाएं, लाइन के ऊपर रखी गई रूकावटों के उपर से गाड़ी का गुजर जाना, यात्रियों के गाड़ी से बाहर गिरने या गाड़ियों में आग लगने जैसे मामले), या भारतीय दंड संहिता में यथा परिभाषित घोर उपहति (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोर उपहति कहा गया है) आई हो या रेल सम्पत्ति को पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति की जो भले ही वास्तविक रूप से न पहुँची हो लेकिन दुर्घटना के प्रकार को देखते हुए ऐसा होने की समुचित आशंका रही हो; और इसमें भू–स्खलन या वर्षा अथवा बाढ़ से लाइन टूट जाने के वे मामले भी शामिल माने जायेंगे जिनके कारण संचार की किसी महत्वपूर्ण सीधी लाइन पर कम से कम 24 घंटे यातायात में अवरोध हो जाये।

4. **राज्य सरकार को सूचनाएं भेजने का ढंग :–**

दुर्घटनाओं की वह सूचना, जिसका कि अधिनियम की धारा 113 के अधीन रेल प्रशासन द्वारा अविलम्ब भेजा जाना अपेक्षित है, राज्य सरकार को:–

(क) निम्नलिखत मामलों में तार द्वारा –

(i) नियम 3 के स्पष्टीकरण के अधीन, जनहानि के कारण, गम्भीर समझी जाने वाली दुर्घटनाएं,

(ii) ऐसी दुर्घटनाएं, जिनके कारण स्थाई रेल पथ के 24 घंटों से अधिक समय के लिए बंद रहने की संभावना है, और

(iii) गाड़ी ध्वंस या गाड़ी ध्वंस करने के प्रयास, और

(ख) अन्य सभी मामलों में पत्र द्वारा, भेजी जायेगी।

5. **रेल सेवकों द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना :–**

हर रेल सेवक, रेल संचालन के अनुक्रम में घटित होने वाली ऐसी हर दुर्घटना की, जो उसकी जानकारी में आएं, रिपोर्ट यथासंभव कम से कम विलम्ब में करेगा और ऐसी रिपोर्ट सबसे निकट के स्टेशन मास्टर से या कोई स्टेशन मास्टर न हो वहां रेल के उस खण्ड के भारसाधक रेल सेवक से की जाएगी जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो।

6. **स्टेशन मास्टर या खण्ड के भारसाधक रेल सेवक द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना :–**

स्टेशन मास्टर या खण्ड का भारसाधक रेल सेवक, दुर्घटनाओं की रिपोर्ट उन नियमों के अनुसार करेगा जो संबंधित रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए अधिकथित हैं।

7. **रेल प्रशासन द्वारा गम्भीर दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना :–**

(1) जब कभी रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के उपनियम (2) में यथा परिभाषित कोई गम्भीर दुर्घटना घटित हो, तो संबंधित रेल प्रशासन, दुर्घटना घटने के बाद यथा संभव शीघ्र प्रेस को तार द्वारा ऐसे विवरण जो नियम 2 में उल्लिखित है और तब तक उपलब्ध हैं, भेजेगा और आगे सूचना उपलब्ध होने के तुरन्त बाद, यदि आवश्यक हो तो अनुपूरक तार द्वारा भेजी जायेगी। साथ ही साथ, एक प्रति एक्सप्रेस तार द्वारा रेलवे बोर्ड, सम्बंधित परिमण्डल के रेल संरक्षा आयुक्त और मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को भी भेजी जायेगी। इसके अतिरिक्त जिस मण्डल पर कोई गंम्भीर दुर्घटना घटित हुई है उसका नियंत्रक, दूरभाष द्वारा रेल संरक्षा आयुक्त को सूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिये कोई दुर्घटना वहाँ गंभीर दुर्घटना मानी जायेगी जहाँ :–

(i) दुर्घटना यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी के साथ हुई हो जिसमें रेलगाड़ी में जनहानि हुई हो या यात्री या यात्रियों को घोर उपहति हुई हो या जिसमें रेल सम्पत्ति को गंभीर नुकसान हुआ हो, जिसका मूल्य रू0 25,00,000 से अधिक हो या अन्य कोई दुर्घटना जिसकी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेल संरक्षा आयुक्त की राय में रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच करना अपेक्षित हो कोई कर्मकार गाड़ी या गिट्टी से लदी गाड़ी या सामान ढोने वाली या दुर्घटना सहायता गाड़ी या टावर वैगन या कर्मकारों को ले जाने वाली किसी प्रकार अन्य गाड़ी, या पशु स्पेशल/प्राधिकृत रक्षकों को ले जाने वाली मिलिटरी स्पेशल या इसी प्रकार की गाड़ियों को यात्री गाड़ी माना जायेगा।

(ii) यात्रियों को ले जाने वाली दुर्घटनाग्रस्त यात्री गाड़ी से किसी रेल सेवक की जीवन हानि या घोर उपहित हो जाती हो तो बिना इस बात पर विचार किये कि वह उस गाड़ी में यात्रा कर रहा था या नहीं या रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जाँच की परिधि में आयेगा और "गंभीर रेल दुर्घटना" माना जायेगा :

परन्तु यह कि –

(क) स्वंय अपनी लापरवाही से गाड़ी के नीचे आ जाने और उपहति या मर जाने वाले अतिचारियों या स्वयं अपनी लापरवाही से उपहत या मर जाने वाले यात्रियों के मामले, और

(ख) ऐसे व्यक्ति जो रेल सेवक हैं या विधिमान्य पास/टिकट धारक हैं या अन्यथा जो यात्री गाड़ी के चल स्टाक से बाहर जैसे फुट बोर्ड पर या छत पर या बफर पर, लेकिन दो डिब्बों को जोड़ने वाले बीच के रास्ते के भीतरी भाग को छोड़कर, यात्रा करते हुए मर जाते हैं या गंभीर रूप से उपहत होते हैं या समपार पर या रेल पथ पर और कही यात्री गाड़ी द्वारा कुचले जाते हैं के मामले, और

(ग) समपार पर सड़क यान और यात्री गाड़ी के बीच टक्कर जिसमें कोई यात्री या रेल सेवक न मरा हो या गम्भीर रूप से उपहत न हुआ हो "गम्भीर रेल दुर्घटना" नहीं समझी जाएगी, तब भी जब वे जो सड़क यान से यात्रा कर रहे हैं, मरते हैं या गम्भीर रूप से उपहत होते हैं, "गम्भीर रेल दुर्घटना" नहीं समझी जाएगी जब तक कि मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेल संरक्षा आयुक्त का यह विचार न हो कि दुर्घटना की जाँच रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा कराई जाना अपेक्षित है।

8. **दुर्घटना स्थल पर पहुंचने की सुविधा :–**

जब कभी रेल संचालन के दौरान कोई दुर्घटना घटित हुई, तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान, जिला मजिस्ट्रेट या नियम 17 के अधीन नियुक्त या प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट को या जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जांच आयोग को या

किसी अन्य प्राधिकारी को, जिस पर उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध लागू किये गये हों और रेल संरक्षा आयुक्त चिकित्सा अधिकारियों, पुलिस व अन्य सम्बंध व्यक्तियों को सभी, उचित सहायता देगा ताकि वे दुर्घटना स्थल पर शीघ्र पहुंच सकें और वह जांच करने और दुर्घटना के कारण के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करने में भी इन प्राधिकारियों की सहायता करेगा।

**9. दुर्घटनाओं में गम्भीर रूप से उपहत हुए व्यक्तियों को डाक्टरी सहायता :–**

जब किसी रेल संचालन के दौरान घटित होने वाली किसी दुर्घटना में किसी को गम्भीर उपहति हो जाए तो संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह पीड़ितो को डाक्टरी सहायता दे और यह देखें कि जब तक पीड़ितों को उसके घर न पहुंचा दिया जाए या उनके संबंधियों या मित्रों को उन्हें न सौंप दिया ज़ाए तब तक उनकी उचित प्रकार से और सावधानीपूर्वक सेवा सुश्रुषा की जाती है। ऐसे किसी मामले में, या किसी ऐसे मामले में जिसमें जनहानि हुई और अथवा किसी को गम्भीर उपहति हुई हो, तो निकटतम उपलब्ध स्थानीय चिकित्सा अधिकारी को, यदि वह रेलवे चिकित्सा अधिकारी की अपेक्षा निकट हो, बुलाया जायेगा।

**10. न्यायिक जाँच या रेल संरक्षा आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जाँच स्थल पर रेल सेवकों की हाजिरी की व्यवस्था करना :–**

जब रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के अधीन या इन नियमों के नियम 17 के अधीन कोई जाँच या कोई न्यायिक जाँच की जा रही हो तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान ऐसे सभी रेल सेवकों की, जिनके साक्ष्य की ऐसी जाँच के समय अपेक्षा की जाने की संभावना हो, जाँच स्थल पर, जब तक आवश्यक हो, हाजिरी की व्यवस्था करेगा, और यदि जांच रेल दुर्घटनाओं की कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के अधीन रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जानी हो, तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान,

(क) नियम 14 के उपनियम (1) के खंड (क) और खण्ड (ग) में उल्लिखित अधिकारियों को जाँच शुरू होने की तारीख, समय और स्थान की सूचना दिलवायेगा, तथा

(ख) जाँच में साक्षी के रूप में अपेक्षित मण्डल अधिकारियों रेल सेवकों की उपस्थिति की भी व्यवस्था करेगा।

**11. रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट मिलने पर रेल प्रशासन के प्रधान द्वारा की जाने वाली कार्रवाई :–**

जब कभी सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान को, रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 4 के अधीन रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हो, तो तुरन्त उसकी पावती अभिस्वीकार करेगा, और

(क) वह रेल प्रशासन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर तुरन्त रिपोर्ट में व्यक्त विचारों पर अपनी टिप्पणियाँ मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को साथ ही एक प्रति रेल संरक्षा आयुक्त को देगा और यदि वह तुरन्त अपनी टिप्पणी देने में असमर्थ हो तो रिपोर्ट की अभिस्वीकृति में अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा कि वह अपनी टिप्पणी बाद में यथाशक्य शीघ्र भेजेगा;

(ख) यदि संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान रिपोर्ट में व्यक्त विचारों से सहमत है और किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों पर अभियोजन करना वांछनीय समझता हो, तो वह ऐसे व्यक्तियों के विवरण की रिपोर्ट उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिसमें दुर्घटना घटित हुई है या अन्य ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस सम्बंध में नियुक्त करे और संबंधित पुलिस प्राधिकारी को तुरन्त भेजेगा,

(ग) यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस प्राधिकारी रिपोर्ट की प्रति की अपेक्षा करता है तो उसे भेजा जा सकेगा और रिपोर्ट की गोपनीयता के लिये जिला/पुलिस प्राधिकारियों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए, तथा पुलिस प्राधिकारी किसी अभियोजना को चलाने के सम्बन्धित उनके विनिश्चय के बारे में सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान को यथाशक्य शीघ्र सूचित करेगा।

**12. रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर रेल प्रशासन का प्रधान अपनी टिप्पणियां देगा :–**

जब कभी रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट किसी नियम अथवा रेल संचालन की प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता की ओर संकेत करे या परिवर्तन का सुझाव दे, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान, वैसी दुर्घटनाओं की आवर्ती को रोकने के लिए की गई अथवा किए जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को तथा एक प्रति रेल संरक्षा आयुक्त को देगा।

**13. संयुक्त जाँच कब अभिमुक्ति दी जाय :–**

(1) जब कभी, रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटना जैसी अधिनियम की धारा 113 में वर्णित है, रेल संचालन के दौरान घटित हो, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान, दुर्घटना के कारणों का पूरा अन्वेषण करने के निमित्त रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा शीघ्र जाँच (जिसे "संयुक्त जाँच" कहा जायेगा) करवायेगा।

परन्तु ऐसी जाँच से अभिमुक्ति दी जा सकेगी –

(क) यदि रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के अधीन रेल संरक्षा आयुक्त या जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जाँच आयोग द्वारा यां केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्रधिकारी, जिस पर रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, के नियम 2 के अधीन उक्त जाँच आयोग अधिनियम के सभी अथवा कोई उपबन्ध लागू किये गये हों, द्वारा कोई जांच की जानी हो, या

(ख) यदि दुर्घटना के कारण के संबंध में कोई भी युक्तियुक्त संदेह न हो, या

(ग) यदि सम्बंधित रेल प्रशासन का कोई विभाग सूचित करे कि वह इस मामले को पूरी जिम्मेदारी मानता है।

(2) जहाँ उपनियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन इस प्रकार की जाँच से अभिमुक्ति की गयी हो वहाँ दुर्घटना के लिये उत्तरदायी रेल प्रशासन के विभाग के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि यह ऐसी जाँच (जिसे "विभागीय जाँच" कहा जाय) करें, जैसा वह आवश्यक समझता हो और यदि त्रुटि उसके कर्मचारियों या प्रणाली या कार्य–करण की हो, तो ऐसे उपाय करे अथवा ऐसे उपायों का सुझाव दें, जिन्हें वह इस प्रकार की दुर्घटनाओं की आवर्ती को रोकने के लिये आवश्यक समझता हो।

**14. संयुक्त जाँच की सूचना :–**

(1) जब कभी संयुक्त जाँच की जानी हो, तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान निम्नलिखित अधिकारियों को जांच प्रारम्भ होने की तारीख तथा समय की सूचना देने की व्यवस्था करेगा, अर्थात :

(क) उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जिसमें दुर्घटना घटित हुई हो या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, रेलवे पुलिस के अधीक्षक को तथा जिला पुलिस अधीक्षक को,

(ख) रेल के उस खण्ड के रेल संरक्षा आयुक्त को जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो, और

(ग) उस रेल पुलिस के प्रधान को, जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता है जहां दुर्घटना घटित हुई हो, यदि वहां कोई भी रेल पुलिस न हो, तो उस पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जिसकी अधिकारिता में वह स्थान पड़ता हो।

(2) जांच शुरू होने की तारीख व समय इस प्रकार नियत किए जाएंगे कि उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को उस स्थान पर जहां जांच होनी है, पहुंचने के लिये पर्याप्त समय मिल जाए।

(3) जब रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के उपनियम (5) के अधीन जांच करने के लिये रेल संरक्षा आयुक्त की असमर्थता के बारे में सूचना प्राप्त होने पर किसी दुर्घटना की संयुक्त जांच की जाए तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान इस संबंध में एक प्रेस नोट भी जारी करेगा जिसमें जांच के दौरान साक्ष्य देने या दुर्घटना के सम्बंध में प्रेस नोट में विनिर्दिष्ट पते पर संयुक्त जांच समिति को जानकारी भेजने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाएगा।

**15. संयुक्त जांच अथवा विभगीय जांच की रिपोर्ट रेल प्रशासन के प्रधान को भेजा जाना और उस पर की जाने वाली कार्रवाई :–**

(1) जैसे ही कोई संयुक्त जांच अथवा विभागीय जांच समाप्त हो, यथास्थिति, रेल अधिकारियों की समिति का अध्यक्ष या विभाग का प्रधान सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विवरण दिया जायेगा :–

(क) दुर्घटना का संक्षिप्त वर्णन;

(ख) दुर्घटना–स्थल का वर्णन;

(ग) लिये गये साक्ष्य का ब्यौरेवार विवरण;

(घ) विसम्मति नोट, यदि कोई हो, सहित निकाले गये निष्कर्ष;

(ड.) निकाले गये निष्कर्षों के कारण;

(च) हुई क्षति का प्रकार और सीमा;

(छ) दुर्घटना का दृष्टांत रूप एक नक्शा, यदि आवश्यक हो;

(ज) मृत या उपहत रेल सेवकों की संख्या;

(झ) मृत या उपहत यात्रियों की संख्या;

एक परिशिष्ट जिसमें उन नियमों के उद्धरण होगें जिनका अतिक्रमण दुर्घटना के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा किया गया हो।

(2) सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान, दुर्घटना के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों अथवा नियमों या कार्य–प्रणाली के पुनरीक्षण के लिये आशयित कार्रवाई के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी सहित, उपनियम (1) में निर्देशित रिपोर्ट की एक प्रति :

(क) रेलवे के उस खण्ड के रेल संरक्षा आयुक्त को, जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो;

(ख) यदि नियम 17 के अधीन कोई जांच या अन्वेषण न किया गया हो, या यदि पहले कोई संयुक्त या विभागीय जांच की

गयी हो, तो जिला मजिस्ट्रेट को या नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी को, और

(ग) यदि कोई न्यायिक जांच की जा रही हो, तो जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को, भेजेगा।

(3) पूर्वोक्त रिपोर्ट की प्रति के साथ :–

(क) उपनियम (2) के खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट मामले में उन व्यक्तियों के कथन की जो दुर्घटना में अन्तर्वलित हों और जिन का अभियोजन करना सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान वांछनीय समझता हो; और

(ख) उपनियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले में, जांच में लिये गये साक्ष्य की एक प्रति होगी।

**16. धारा 113 के अन्तर्गत न आने वाली दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट रेल संरक्षा आयुक्त को भेजी जाना :–**

(1) जब कभी अधिनियम की धारा 113 में विनिर्दिष्ट प्रकृति से भिन्न प्रकार की कोई दुर्घटना, जैसे टक्करों को बचा लेना, ब्लाक नियमों के उल्लंघन या अन्य तकनीकी दुर्घटनाएं, किसी रेल संचालन के दौरान घटित होती है तो संबंधित रेल प्रशासन दुर्घटना की संयुक्त जांच या विभागीय जांच करा सकता है।

(2) यदि उपनियम (1) में यथा उपबंधित कोई जांच की जाती है तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान जांच रिपोर्ट की एक प्रति, रेलवे के जिस खंड पर दुर्घटना घटी हो, उसके रेल संरक्षा आयुक्त को भेजेगा।

**17. मजिस्ट्रेट द्वारा जांच :–**

जब कभी अधिनियम की धारा 113 में वर्णित कोई दुर्घटना रेल संचालन के दौरान घटित हो, तो जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त नियुक्त किया हो या तो :–

(क) उन कारणों की जांच, जिनके कारण दुर्घटना हुई है, स्वयं कर सकेगा; या

(ख) ऐसी जांच करनेके लिए किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को, जो यदि संभव हो तो, प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट होगा, प्रतिनियुक्त कर सकेगा; या

(ग) यह निदेश कर सकेगा कि जिन कारणों की वजह से दुर्घटना घटी है, उनका अन्वेषण पुलिस द्वारा किया जाय;

परन्तु यदि, दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन दुर्घटना की जांच करने के लिये किसी जांच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या उसने जांच करने के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो और उस प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबंध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिए हों, तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी इस नियम के अधीन अपनी जांच या अन्वेषण नहीं करेगा और यदि उसने पहले ही जांच या अन्वेषण शुरू कर दिया हो, तो उसे और आगे नहीं बढ़ायेगा, और ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जांच या अन्वेषण से सम्बंधित साक्ष्य, अभिलेख या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जे में हो, ऐसे प्राधिकारी को सौंप देगा जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

**18. मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जांच की सूचना :–**

जब कभी नियम 17 के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन जांच करने विनिश्चय किया जाए, तो यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या पूर्वोक्त रूप से नियुक्त अन्य मजिस्ट्रेट या नियम 17के खंड (ख) के अधीन प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट तुरन्त संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को और मण्डल रेल प्रबंधक को तार द्वारा जांच शुरू होने की तारीख और समय की सूचना देगा ताकि रेल प्रशासन अपेक्षित विशेषज्ञ साक्ष्य समन कर सके और इसके बाद वह दुर्घटना स्थल पर जायेगा और जांच करेगा।

**19. न्यायिक जांच :–**

नियम 17 के अधीन जांच करने वाला मजिस्ट्रेट, किसी रेल सेवक और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी हाजिरी वह आवश्यक समझे, समन कर सकेगा और साक्ष्य लेने और जांच पूरी करने के बाद, यदि उसके विचार में न्यायिक जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अपेक्षित कार्यवाई करेगा, जिसे वह दुर्घटना के लिए आपराधिक दायित्व के अधीन समझता हो।

**20. मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच का परिणाम रेल प्रशासन के प्रधान को संसूचित किया जाना :–**

नियम 17 के अधीन की गई हर जांच या अन्वेषण का परिणाम उस मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने ऐसी जांच या अन्वेषण किया हो, संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान और रेल संरक्षा आयुक्त को संसूचित किया जायेगा।

**21. न्यायिक जांच करने वाले मजिस्ट्रेट की सहायता के लिये रेल सेवकों को समन करने की प्रक्रिया :–**

(1) यदि रेल संचालन के दौरान घटित किसी दुर्घटना की कोई न्यायिक जांच करने के अनुक्रम में ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट सम्बंधित रेल संरक्षा आयुक्त तथा रेल प्रशासन के प्रधान की सहायता चाहता हो तो वह रेल संरक्षा आयुक्त तथा रेल प्रशासन के प्रधान की उपस्थिति के लिए एक मांग पत्र मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेलवे बोर्ड को भेजेगा और ऐसा करते समय वह यह भी अधिकथित करेगा कि वह किस प्रकार की सहायता चाहता है और यदि किसी रेल अधिकारी की सहायता की आवश्यकता है तो न्यायालय में उसकी हाजिरी के लिए रेल प्रशासन के प्रधान को मांग पत्र जारी करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मांगपत्र में अपेक्षित सहायता की प्रकृति अधिकथित होगी। रेल पदाधिकारियों को समन करते समय मजिस्ट्रेट, इस बात का ध्यान रखेगा कि रेल सेवकों को, विशेषतः एक ही वर्ग के कर्मचारियों को, एक ही दिन इतनी बड़ी संख्या में समन न किया जाये कि उससे रेल संचालन में असुविधा हो। गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में मजिस्ट्रेट न्यायिक जांच को अंतिम रूप से समाप्त करने से पहले दुर्घटना के सम्बंध में सम्बंधित रेल संरक्षा आयुक्त तथा रेल प्रशासन के प्रधान की रिपोर्ट मांग सकेगा।

**22. न्यायिक जांच की विनिश्चय की रेल प्रशासन, रेल संरक्षा आयुक्त और राज्य सरकार को संसूचना :–**

न्यायिक जांच की समाप्ति पर, मजिस्ट्रेट अपने विनिश्चय की एक प्रति सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान को और रेल संरक्षा आयुक्त को भेजेगा और जब तक कि वह किसी मामले में ऐसा करना आवश्यक न समझे, जांच के परिणाम की रिपोर्ट राज्य सरकार से करेगा।

**23. पुलिस अन्वेषण कब न किया जाए – मृत्यु, गम्भीर रूप से उपहत या रेल सम्पत्ति की क्षति पर रिपोर्ट :–**

(1) रेल संचालन के दौरान घटित किसी भी दुर्घटना के कारणों का अन्वेषण रेल पुलिस कर सकती है और वह ऐसा तब करेगी जब कभी :

(क) ऐसी दुर्घटना में जनहानि हुई हो या गंभीर उपहति हुई हो या रेल सम्पत्ति को 25,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो या दुर्घटना प्रथम दृष्टया किसी आपराधिक कार्य या चूक के कारण घटी हो, या

(ख) जिला मजिस्ट्रेट या नियम 17 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट ने उस नियम के खण्ड (ग) के अधीन ऐसा करने का निर्देश किया हो :

परन्तु यह कि जहां, दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन दुर्घटना की जांच करने के लिए किसी जांच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या उसमें जांच करने के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो और उस प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबंध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिए हो या नियम 17 के खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत जब न्यायिक जांच की जा रही है, वहां रेल पुलिस इस नियम के अधीन केई अन्वेषण नहीं करेगी और जहां कि उन्होंने अपना अन्वेषण पहले ही शुरू कर दिया हो, वहां उसे और नहीं बढ़ायेगें, और अन्वेषण से सम्बंधित अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों को, जो उनके कब्जे में हो, ऐसे प्राधिकारी को सौंप देंगे, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) रेल पुलिस रेल संचालन के दौरान घटित होने वाली ऐसी दुर्घटना की ,जो उसकी जानकारी में आए, रिपोर्ट जिसमें जनहानि हुई हो या गम्भीर उपहति हुई हो या रेल सम्पत्ति की पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो या जो प्रथमदृष्टया किसी आपराधिक कार्य या चूक के कारण घटी हो यथा संभव कम से कम विलम्ब में उससे निकट के स्टेशन मास्टर से या जहां कोई स्टेशन मास्टर न हो वहां रेल के उस खण्ड के भारसाधक रेल कर्मचारी से करेगी जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो।

**24. (1) दुर्घटना का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी की हैसियत :–**

जब कभी किसी रेल पुलिस द्वारा :

(क) किसी ऐसे मामले का, जिसमें दुर्घटना में जनहानि हुई हो या गंभीर उपहित हुई हो या रेल सम्पत्ति का पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो, या –

(ख) नियम 17 के खण्ड (ग) के अधीन दिये निदेश के अनुशरण में, अन्वेषण करना हो, तो :–

अन्वेषण उस क्षेत्र की रेल पुलिस के प्रधान द्वारा किया जाएगा, जहां दुर्घटना घटित हुई है, या यदि वह अधिकारी स्वयं अन्वेषण करने में असमर्थ हो, तो उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रतिनियुक्त अधिकारी, साधारणतः उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी और जब कभी सम्भव हो, राजपत्रित अधिकारी होगा और किसी भी स्थिति में निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होगा

परन्तु –

(i) उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में, यदि एक से अधिक व्यक्ति की जीवन हानि न हुई हो या एक से अधिक व्यक्ति को गंभीर उपहति न हुई हो या रेल सम्पत्ति को पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य की क्षति न पहुंची हो या जहां ऐसा संदेह करने का कोई कारण न हो कि कोई रेल सेवक रेल संचालन से सम्बंधित किसी नियम की उपेक्षा करने का दोषी है, या

(ii) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी मामले में यदि जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार का निर्देश करता है, तो अन्वेषण पुलिस स्टेशन के किसी भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

**25. पुलिस अन्वेषण की सूचना :–**

अधिकारी जिसे नियम 24 के अनुसरण में अन्वेषण करना है, तत्काल संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान और मण्डल रेल प्रबन्धक को तार द्वारा अन्वेषण शुरू होने की तारीख और समय की सूचना देगा, ताकि, यदि संभव हो तो, कार्यवाही को देखने तथा अन्वेषण करने

वाले अधिकारी की सहायता के निमित्त किसी रेल पदाधिकारी की हाजिरी की व्यवस्था की जा सके। इसके बाद वह अविलम्ब दुर्घटना स्थल पर जायेगा और वहां अन्वेषण करेगा। फिर भी रेल पदाधिकारी की गैरहाजिरी के कारण अन्वेषण में विलम्ब नहीं किया जाएगा और उसे दुर्घटना घटित होने के बाद यथासंभव शीघ्र किया जाएगा।

**26. (1) जिला पुलिस द्वारा सहायता :–**

ऐसे हर मामले में जिस पर नियम 24 लागू होता है, उस क्षेत्र की रेल पुलिस द्वारा जिला पुलिस को शीघ्र सूचना दी जाएगी, जो यदि ऐसे अपेक्षित हो तो, सभी आवश्यक सहायता देंगी और आवश्यकता पड़ने पर, रेल परिसर की सीमा से बाहर अन्वेषण करेगी। लेकिन सीमाओं के भीतर अन्वेषण करने के लिए मुख्यतः उस क्षेत्र की रेल पुलिस ही उत्तरदायी होगी।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस अन्वेषण समाप्त होने के बाद मामले को आगे अभियोजन रेलवे पुलिस के हाथ में होगा।

**28. पुलिस के अन्वेषण के परिणाम की संसूचना :–**

पुलिस के हर अन्वेषण परिणाम की रिपोर्ट तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अधिकारी, सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान या उसके द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी और रेल संरक्षा आयुक्त को दी जायेगी।

**28. जिला पुलिस द्वारा रेल पुलिस के कर्तव्यों का निर्वहन करना :–**

जहां क्षेत्र में कोई भी रेल पुलिस नहीं है वहां नियम 23, 24 और 25, नियम 26 उपनियम (2) और नियम 27 द्वारा क्षेत्र की रेल पुलिस या उस रेल पुलिस के प्रधान पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन यथास्थिति, जिला पुलिस द्वारा या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

**29. निरसन और व्यावृत्ति :–**

(1) रेल (दुर्घटनाओं की सूचनाएं और जांच) नियम, 1973 निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित नियमों के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाई इस नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

ह./–
कार्यकारी निदेशक
रेलवे बोर्ड

बसन्त, प्रबन्धक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा मुद्रित।

पू.उ.रे.-1999-2000 0162—500 प्रतियाँ-नवम्बर '99